


30.4.25

पत्रावली पेश हुई। अर्थात् अनुपस्थिति प्रकरण लम्बे समय से बहस हेतु नियत है। अर्थात् द्वारा धारा 251C के तहत आकाश आवासीय शक्ति पर जाने हेतु रास्ता चाहा गया है कि जबकि धारा 251C के तहत केवल शक्ति शक्ति पर रास्ता दिए जाने का प्रावधान करती है। जिससे अर्थात् का अर्थन पर धारा 251C के तहत पोषणीय नहीं है साथ ही अर्थात् उपस्थिति नहीं हुआ है जिससे गारंटी है कि अर्थात् अपने अर्थन पर के अर्थ अर्थात् नहीं है।

दर: अर्थात् का अर्थन पर धारा 251C के तहत पोषणीय नहीं होने से व्यक्ति बिना जाना हो निर्णय लिए आकाश सुनाया गया। प्रकरण प्रकृत शक्ति है। सम्बन्ध नमक के अर्थ है।


 (सचिव) सुभाष
 22